

राजस्थान सरकार  
विधि (वादकरण) विभाग

क्रमांक प0. 8 (1)राज/वाद/09

जयपुर, दिनांक 09-06-11

:: संशोधित आदेश ::

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13.04.2011 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-  
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प0 2 (2) न्याय/2010, जयपुर, दिनांक 18.02.2011 द्वारा ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 36 ए. बी. की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, राज्य के समस्त जिला एवं सेशन न्यायालयों को उक्त अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (ए) व (बी), धारा 22 की उप धारा (3), धारा 27 के खण्ड (ए) व (सी), धारा 28, धारा 28ए, व धारा 28बी तथा धारा 30 की उप धारा (1) के खण्ड (बी) के तहत मिलावटी एवं नकली दवाओं से संबंधित दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु अपनी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिये विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

अतः उक्त न्यायालयों में राज्य पक्ष की ओर से ~~वैरवी~~ पैरवी हेतु नियुक्त समस्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण को उपरोक्त अधिनियम के तहत दर्ज होने वाले प्रकरणों में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से

50  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
4. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राज0।
5. महाधिवक्ता, राज0 जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त जिला कलक्टरस।
9. समस्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण, राज0।
10. सहायक लेखाधिकारी, राजकीय वादकरण।
11. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक:-डीसी/विधि/2011/58

दिनांक 20-7-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
- 2- समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
- ✓ 3- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने का श्रम करें।

औषधि नियंत्रक  
राजस्थान जयपुर